International Journal for Research Trends in Social Science & Humanities
Volume 4, Issue 2
Mar-Apr 2026, PP 1-9

लैंगिक समानता और युवा अधिकार: भारतीय परिप्रेक्ष्य में (चुनौतियां, नीतियां एवं सम्भावनाएं)

सीमा
शोधार्थी
राजनीति शास्त्र विभाग,
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

सारांश

यह शोध-पत्र भारतीय परिप्रेक्ष्य में लैंगिक समानता एवं युवा अधिकारों की अवधारणा का अध्ययन करता है तथा उनसे संबंधित चुनौतियों, नीतियों एवं भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन में लैंगिक असमानता के विभिन्न आयामों जैसे शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक भागीदारी, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच तथा सामाजिक-सांस्कृतिक भेदभाव का विश्लेषण किया गया है। साथ ही, युवा अधिकारों की अवधारणा एवं उनके संवैधानिक आधार को स्पष्ट करते हुए यह बताया गया है कि समानता, स्वतंत्रता एवं शिक्षा जैसे अधिकार युवाओं के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। यद्यपि भारत में अनेक नीतियां एवं योजनाएं लागू की गई हैं, फिर भी पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, जागरूकता की कमी, आर्थिक विषमता, सामाजिक कुरीतियाँ एवं डिजिटल विभाजन जैसी समस्याएं अभी भी प्रगति में बाधा उत्पन्न करती हैं। इस शोध-पत्र में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना, राष्ट्रीय युवा नीति तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी प्रमुख सरकारी पहलों का विश्लेषण किया गया है, जो लैंगिक समानता एवं युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा देती हैं। इसके अतिरिक्त, शिक्षा, डिजिटल तकनीक, सामाजिक जागरूकता, नीतिगत सुधार एवं युवाओं की सक्रिय भागीदारी को भविष्य की संभावनाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन के निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि लैंगिक समानता एवं युवा अधिकारों की सुनिश्चितता भारत के सतत एवं समावेशी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए सरकार, समाज एवं युवाओं के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि एक समतामूलक, न्यायपूर्ण एवं समावेशी समाज की स्थापना की जा सके।

मुख्य शब्द: लैंगिक समानता, युवा अधिकार, सशक्तिकरण, शिक्षा, सामाजिक न्याय, पितृसत्ता, आर्थिक असमानता, डिजिटल विभाजन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारत, नीतिगत सुधार, सामाजिक जागरूकता।

1. प्रस्तावना

भारत एक युवा राष्ट्र के रूप में विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। वर्तमान समय में देश की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है, जो इसे 'युवा जनसंख्या लाभांश' प्रदान करती है। यह स्थिति भारत के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है। लैंगिक समानता का तात्पर्य केवल पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता स्थापित करना नहीं है, बल्कि यह सभी लिंगों के प्रति समान अधिकार, अवसर, सम्मान एवं गरिमा

सुनिश्चित करने से है। इसका उद्देश्य समाज में व्याप्त लैंगिक भेदभाव, असमानता एवं रूढ़िवादी धारणाओं को समाप्त करना है, जो महिलाओं और अन्य लैंगिक अल्पसंख्यकों के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं।

भारतीय जैसे विविधतापूर्ण समाज में, जहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक असमानताएं गहराई से निहित हैं, लैंगिक समानता की चुनौती और भी जटिल हो जाती है। पारंपरिक पितृसत्तात्मक संरचना, लैंगिक रूढ़ियाँ, शिक्षा एवं रोजगार में असमान अवसर, तथा निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में महिलाओं की सीमित भागीदारी जैसे कारक इस समस्या को और गंभीर बनाते हैं। परिणामस्वरूप, युवा वर्ग विशेषकर युवतियाँ अक्सर अपने अधिकारों एवं संभावनाओं से वंचित रह जाती हैं। लैंगिक समानता केवल एक सामाजिक या नैतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकारों एवं समावेशी विकास का आधार भी है। एक सुदृढ़ लोकतंत्र तभी स्थापित हो सकता है जब समाज के सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व एवं भागीदारी का अवसर प्राप्त हो। प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे उसका लिंग कोई भी हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा एवं गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। यह अधिकार न केवल संवैधानिक रूप से संरक्षित हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता प्राप्त हैं। वैश्विक स्तर पर भी लैंगिक समानता को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य (**SDG)** में लक्ष्य संख्या 5 विशेष रूप से लैंगिक समानता एवं महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित है।

भारतीय संदर्भ में भी संविधान ने लैंगिक समानता को विशेष महत्व दिया है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करते हैं तथा लिंग के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करते हैं। इसके बावजूद, व्यावहारिक स्तर पर लैंगिक असमानता आज भी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। अतः यह स्पष्ट है कि भारत के विकास में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इस भूमिका को प्रभावी बनाने के लिए लैंगिक समानता को सुनिश्चित करना अनिवार्य है। जब युवा वर्ग चाहे वह पुरुष हो या महिला समान अवसरों एवं अधिकारों के साथ आगे बढ़ेगा, तभी देश का समग्र एवं संतुलित विकास संभव हो सकेगा।

2. लैंगिक समानता की अवधारणा

लैंगिक समानता एक व्यापक सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक अवधारणा है, जिसका उद्देश्य समाज में सभी लिंगों (पुरुष, महिलाएँ तथा अन्य लैंगिक पहचान वाले व्यक्तियों) को समान अधिकार, अवसर एवं सम्मान प्रदान करना है। यह केवल महिलाओं के सशक्तिकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक समावेशी दृष्टिकोण है, जो समाज के प्रत्येक सदस्य को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्राप्त कराने पर बल देता है (संयुक्त राष्ट्र, 2015)। लैंगिक समानता का मूल आधार यह है कि किसी व्यक्ति की क्षमताओं, अधिकारों एवं संभावनाओं का निर्धारण उसके लिंग के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। यह अवधारणा सामाजिक न्याय, मानवाधिकार एवं लोकतांत्रिक मूल्यों से गहराई से जुड़ी हुई है (सेन, 2001)। भारतीय संदर्भ में यह और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ पितृसत्तात्मक संरचनाएँ एवं पारंपरिक मान्यताएँ लंबे समय से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देती रही हैं (कबीर, 2005)।

3. लैंगिक असमानता के आयाम

International Journal for Research Trends in Social Science & Humanities
Volume 4, Issue 2
Mar-Apr 2026, PP 1-9

लैंगिक असमानता के विभिन्न आयाम हैं जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं:

1. **शिक्षा में असमानता**: भारत में शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक असमानता अभी भी एक गंभीर समस्या है। यद्यपि महिला साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, फिर भी ग्रामीण एवं वंचित वर्गों में लड़कियों की शिक्षा बाधित रहती है। सामाजिक रूढ़िवादिता, आर्थिक समस्याएं एवं बाल विवाह जैसी प्रथाएं इस असमानता को बढ़ाती हैं (यूनेस्को, 2020)। उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी कम होना भी इस असमानता को दर्शाता है, जो उनके पेशेवर विकास को सीमित करता है (विश्व बैंक, 2022)।

2. **रोजगार के अवसरों में अंतर**: रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में कम है। 2022-23 की पीएलएफएस (**PLFS**) की रिपोर्ट में 15 से अधिक आयु वर्ग के कुल एलएफपीआर (**LFPR** - ग्रामीण+शहरी) में पुरुष लगभग 78.5 प्रतिशत जबकि महिलाएं लगभग 37.0 प्रतिशत हैं। इसके पीछे सामाजिक अपेक्षाएं, घरेलू जिम्मेदारियां एवं कार्यस्थल पर भेदभाव जैसे कारण प्रमुख हैं (आईएलओ, 2019)। इसके अतिरिक्त, समान कार्य के लिए असमान वेतन भी एक गंभीर समस्या है, जो महिलाओं की आर्थिक स्थिति को कमजोर बनाती है (विश्व आर्थिक मंच, 2023)। महिलाएं अधिकतर असंगठित क्षेत्रों में कार्य करती हैं, जहाँ उन्हें सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है (एनएसएसओ, 2021)।

3. **राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी**: राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। सन् 1951-52 में भारतीय संसद में महिलाओं की भागीदारी 3.8 प्रतिशत से बढ़कर 2019 में 14.4 प्रतिशत हो गई जो 2024 में घटकर 13.7 प्रतिशत रह गई। यह आंकड़े भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की कमजोर भागीदारी को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार भारत में संसद एवं विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी अभी भी सीमित है (भारत निर्वाचन आयोग, 2022)। हालांकि पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है, फिर भी उच्च स्तर की राजनीति में उनकी उपस्थिति कम है, जिससे नीति-निर्माण में लैंगिक संतुलन नहीं बन पाता (बसु, 2016)।

4. **स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच**: स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पोषण की कमी, मातृ मृत्यु दर एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच जैसी समस्याएं लैंगिक असमानता को दर्शाती हैं (डब्ल्यूएचओ, 2021)। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी एवं जागरूकता का अभाव महिलाओं के स्वास्थ्य को और अधिक प्रभावित करता है (**NFHS**-5, 2021)।

5. **सामाजिक एवं सांस्कृतिक भेदभाव**: भारत में सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर लैंगिक असमानता गहराई से व्याप्त है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था, दहेज प्रथा, बाल विवाह एवं घरेलू हिंसा जैसी समस्याएं महिलाओं की स्थिति को कमजोर बनाती हैं (चौधरी, 2013)। लैंगिक रूढ़िवादिता के कारण महिलाओं एवं अन्य लैंगिक समूहों

को पारंपरिक भूमिकाओं तक सीमित कर दिया जाता है, जिससे उनके आत्मनिर्णय एवं स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ता है (नुसबौम, 2000)।
इस प्रकार भारत में लैंगिक असमानता बहुआयामी समस्या है, जो शिक्षा, रोजगार, राजनीति, स्वास्थ्य एवं सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों में व्याप्त है। यह न केवल व्यक्तिगत विकास को बाधित करती है, बल्कि राष्ट्र के समग्र विकास में भी अवरोध उत्पन्न करती है। अतः आवश्यक है कि इन सभी आयामों में समानता सुनिश्चित करने के लिए समग्र एवं प्रभावी नीतियां अपनाई जाएं।

4. युवा अधिकारों की अवधारणा

युवा अधिकार का तात्पर्य उन मूलभूत अधिकारों एवं अवसरों से है, जो युवाओं को उनके समग्र विकास, सशक्तिकरण एवं सामाजिक सहभागिता के लिए प्रदान किए जाते हैं। इसमें शिक्षा का अधिकार, रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक सुरक्षा तथा राजनीतिक भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। युवा किसी भी राष्ट्र की प्रगति के प्रमुख आधार होते हैं। यदि युवाओं को उचित अवसर, संसाधन एवं अधिकार प्राप्त होते हैं, तो वे न केवल अपने व्यक्तिगत विकास को सुनिश्चित करते हैं, बल्कि समाज एवं राष्ट्र के विकास में भी सक्रिय योगदान देते हैं (संयुक्त राष्ट्र, **2018)**।

राजनीतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से, युवा अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब युवाओं को निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में भाग लेने का अवसर मिलता है, तो लोकतंत्र अधिक सहभागी, समावेशी एवं उत्तरदायी बनता है (सेकोव, **2011)**। भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ युवा जनसंख्या का अनुपात अधिक है, वहाँ युवा अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन अत्यंत आवश्यक है। यह केवल सामाजिक न्याय का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह आर्थिक विकास, सामाजिक स्थिरता एवं राजनीतिक सशक्तिकरण से भी जुड़ा हुआ है (यूएनडीपी, **2020)**।

5. भारतीय संविधान और युवा अधिकार

भारतीय संविधान युवाओं को विभिन्न मौलिक अधिकारों के माध्यम से एक सशक्त एवं सुरक्षित आधार प्रदान करता है। ये अधिकार न केवल युवाओं के व्यक्तिगत विकास को सुनिश्चित करते हैं, बल्कि उन्हें समाज के सक्रिय एवं जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए भी प्रेरित करते हैं (बसु, **2015)**।

- **समानता का अधिकार (अनुच्छेद** 14): भारतीय संविधान का अनुच्छेद **14** सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता एवं कानून के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है।
- **स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद** 19): अनुच्छेद **19** के अंतर्गत युवाओं को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार एवं देश के किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
- **शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद** 21A): अनुच्छेद **21A** के अंतर्गत **6** से **14** वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है।

यह अधिकार युवाओं के विकास की नींव के रूप में कार्य करता है, क्योंकि शिक्षा ही वह माध्यम है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में प्रगति कर सकता है (तिलक, **2018)** ।

- **अन्य संबंधित संवैधानिक प्रावधान**: इसके अतिरिक्त, संविधान के नीति निदेशक तत्व भी युवाओं के कल्याण पर विशेष बल देते हैं। अनुच्छेद **39, 41** एवं **45** जैसे प्रावधान राज्य को यह निर्देश देते हैं कि वह युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करे (भारत का संविधान, **1950)** ।

इसके साथ ही, विभिन्न सरकारी योजनाएँ एवं नीतियां जैसे कौशल विकास कार्यक्रम, युवा सशक्तिकरण योजनाएं एवं रोजगार योजनाएं भी युवा अधिकारों को मजबूत करने में सहायक हैं। युवा अधिकार लोकतांत्रिक समाज की नींव को मजबूत करते हैं। ये अधिकार युवाओं को न केवल व्यक्तिगत विकास के अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि उन्हें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में सक्रिय भागीदारी के लिए भी सक्षम बनाते हैं। भारत में संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों एवं नीतिगत उपायों के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है, किंतु इन अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है। जब तक युवाओं को उनके अधिकारों का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा, तब तक राष्ट्र का समग्र विकास संभव नहीं हो सकेगा (यूनेस्को, **2019)**।

6. भारत में लैंगिक समानता की वर्तमान स्थिति

भारत में लैंगिक समानता की स्थिति एक मिश्रित परिदृश्य प्रस्तुत करती है। एक ओर, पिछले कुछ दशकों में महिलाओं ने शिक्षा, राजनीति एवं रोजगार जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक, आर्थिक एवं संरचनात्मक असमानताएं अब भी व्यापक रूप से विद्यमान हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि नीतिगत प्रयासों एवं संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद, लैंगिक समानता की पूर्ण प्राप्ति अभी भी एक चुनौती बनी हुई है (यूएनडीपी, 2022)। भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए अनेक सरकारी योजनाएं एवं नीतियां लागू की गई हैं, जैसे–'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ', महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम एवं कौशल विकास योजनाएं। इसके बावजूद, वास्तविक जीवन में लैंगिक असमानता विभिन्न रूपों में दिखाई देती है, जो समाज के समग्र विकास को प्रभावित करती है (भारत सरकार, 2021)।

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, विशेषकर प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर नामांकन दर में वृद्धि देखी गई है। महिला साक्षरता दर में भी निरंतर वृद्धि हुई है, जो सकारात्मक संकेत है। फिर भी, ग्रामीण क्षेत्रों एवं वंचित समुदायों में लड़कियों की शिक्षा अनेक बाधाओं से प्रभावित होती है। गरीबी, सामाजिक रूढ़िवादिता, बाल विवाह, घरेलू जिम्मेदारियां एवं विद्यालयों की दूरी जैसे कारक लड़कियों की शिक्षा में बाधा उत्पन्न करते हैं। कई परिवारों में आज भी लड़कों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे लैंगिक अंतर बना रहता है। इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा में भी महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम है, विशेषकर विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्रों (**STEM)** में। यह स्थिति उनके पेशेवर अवसरों एवं आत्मनिर्भरता को प्रभावित करती है।

आर्थिक क्षेत्र में लैंगिक असमानता भारत की प्रमुख चुनौतियों में से एक है। महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी दर (**LFPR)** पुरुषों की तुलना में काफी कम है, जो आर्थिक विकास में उनकी सीमित भागीदारी को दर्शाता है (आईएलओ, 2019)। महिलाएं प्रायः असंगठित क्षेत्र में कार्य करती हैं, जहाँ उन्हें कम वेतन, अस्थिर रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा का अभाव होता है। इसके साथ ही, समान कार्य के लिए असमान वेतन भी एक गंभीर समस्या है, जो महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बाधित करती है (विश्व आर्थिक मंच, 2023)। घरेलू कार्यों एवं देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों का भार भी मुख्यतः महिलाओं पर होता है, जिसे आर्थिक गतिविधि के रूप में मान्यता नहीं मिलती। यह स्थिति महिलाओं के आर्थिक योगदान को कम करके आंकती है और उनकी श्रम भागीदारी को सीमित करती है।

राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में कुछ सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे स्थानीय स्तर पर उनकी भूमिका सशक्त हुई है (बसु, 2015)। हालाँकि, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी सीमित है। संसद एवं विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है, जिससे नीति-निर्माण प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी पूर्ण रूप से परिलक्षित नहीं होती (भारत निर्वाचन आयोग, 2022)।

इसके अतिरिक्त, सामाजिक बाधाएं, राजनीतिक संसाधनों की कमी एवं पितृसत्तात्मक मानसिकता भी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करती हैं। इसके बावजूद, हाल के वर्षों में महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता में वृद्धि हुई है, जो लैंगिक समानता की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। इस प्रकार भारत में लैंगिक समानता की स्थिति प्रगति एवं चुनौतियों का मिश्रण है। शिक्षा, आर्थिक क्षेत्र एवं राजनीति में सुधार के प्रयासों के बावजूद, लैंगिक असमानता अभी भी विभिन्न स्तरों पर विद्यमान है।

7. लैंगिक समानता एवं युवा अधिकारों के समक्ष चुनौतियाँ

भारत में लैंगिक समानता एवं युवा अधिकारों की स्थापना के मार्ग में अनेक संरचनात्मक, सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। यद्यपि संवैधानिक प्रावधान एवं नीतियां इन अधिकारों को सुनिश्चित करने का प्रयास करती हैं, फिर भी व्यावहारिक स्तर पर कई बाधाएँ इनकी प्रभावशीलता को सीमित करती हैं। ये चुनौतियाँ न केवल महिलाओं, बल्कि समग्र युवा वर्ग के विकास को प्रभावित करती हैं (यूएनडीपी, 2022)।

1. **पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना:** भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था गहराई से जड़ें जमाए हुए है, जिसमें पुरुषों को परिवार एवं समाज में प्रमुख स्थान दिया जाता है, जबकि महिलाओं की भूमिका को सीमित कर दिया जाता है। यह संरचना लैंगिक असमानता का मुख्य कारण है, जो महिलाओं एवं युवतियों के अधिकारों को सीमित करती है (कबीर, 2005)। पितृसत्ता के कारण निर्णय-निर्माण की शक्ति प्रायः पुरुषों के हाथ में केंद्रित रहती है, जिससे महिलाओं की स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्णय की क्षमता प्रभावित होती है।

2. **शिक्षा एवं जागरूकता की कमी**: लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता का अभाव सामाजिक परिवर्तन में एक प्रमुख बाधा है। समाज के अनेक वर्गों में आज भी लैंगिक रूढ़िवादिता एवं पारंपरिक धारणाएं प्रचलित हैं, जो महिलाओं एवं युवाओं के अधिकारों को सीमित करती हैं (यूनेस्को, 2020)। शिक्षा की कमी के कारण लोग अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं हो पाते।

3. **आर्थिक विषमता**: आर्थिक असमानता लैंगिक समानता एवं युवा अधिकारों के लिए एक गंभीर चुनौती है। गरीबी एवं बेरोजगारी के कारण युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार जैसे बुनियादी अधिकारों से वंचित होना पड़ता है (विश्व बैंक, 2022)। आर्थिक विषमता के कारण परिवारों में संसाधनों का वितरण भी असमान होता है, जहाँ अक्सर लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है। यह स्थिति लैंगिक असमानता को और अधिक गहरा करती है (सेन, 2001)।

4. **सामाजिक कुरीतियाँ**: भारत में कई सामाजिक कुरीतियाँ अभी भी प्रचलित हैं, जो लैंगिक समानता एवं युवा अधिकारों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं। बाल विवाह, दहेज प्रथा, लैंगिक हिंसा एवं घरेलू हिंसा जैसी समस्याएं आज भी व्यापक रूप से देखी जाती हैं।

5. **डिजिटल विभाजन**: डिजिटल युग में तकनीकी संसाधनों तक पहुँच अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है, किंतु भारत में 'डिजिटल विभाजन' एक प्रमुख समस्या के रूप में उभर रहा है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच, तथा पुरुषों एवं महिलाओं के बीच डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता में स्पष्ट अंतर देखा जाता है (ओईसीडी, 2021)। महिलाओं एवं वंचित वर्गों के पास इंटरनेट, स्मार्टफोन एवं डिजिटल शिक्षा संसाधनों तक सीमित पहुँच होती है, जिससे वे आधुनिक अवसरों से वंचित रह जाते हैं। यह स्थिति विशेष रूप से ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल रोजगार एवं सूचना तक पहुँच के संदर्भ में अधिक स्पष्ट होती है। डिजिटल विभाजन के कारण युवाओं के बीच अवसरों की असमानता बढ़ती है, जो उनके कौशल विकास एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को प्रभावित करती है (विश्व बैंक, 2022)।

इस प्रकार लैंगिक समानता एवं युवा अधिकारों के समक्ष चुनौतियाँ बहुआयामी एवं जटिल हैं। पितृसत्तात्मक संरचना, शिक्षा एवं जागरूकता की कमी, आर्थिक विषमता, सामाजिक कुरीतियाँ एवं डिजिटल विभाजन जैसे कारक इन अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करते हैं।

8. सरकारी नीतियां एवं पहल

भारत में लैंगिक समानता एवं युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न नीतियां एवं योजनाएं लागू की गई हैं। इन पहलों का उद्देश्य महिलाओं एवं युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार एवं सामाजिक भागीदारी के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करना है। सरकारी नीतियां न केवल संवैधानिक मूल्यों को व्यवहार में लागू करने का माध्यम हैं, बल्कि ये सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण

उपकरण भी हैं। भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाएं लैंगिक असमानता को कम करने एवं युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं:

1. **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना**: 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य बालिका जन्म को प्रोत्साहित करना, बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना तथा घटते लिंगानुपात में सुधार करना है। यह योजना समाज में व्याप्त लैंगिक भेदभाव एवं कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याओं को समाप्त करने के लिए जन-जागरूकता अभियान के रूप में कार्य करती है (नीति आयोग, 2019)।

2. **राष्ट्रीय युवा नीति**: राष्ट्रीय युवा नीति युवाओं के समग्र विकास एवं सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण नीति है। इसका उद्देश्य युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सहभागिता के क्षेत्रों में सशक्त बनाना है। यह नीति युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करती है तथा उनके नेतृत्व कौशल, नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देती है (यूएनडीपी, 2020)।

3. **महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम**: भारत सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण के लिए कई कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, जो लैंगिक समानता को मजबूत करने में सहायक हैं।

- महिला हेल्पलाइन: महिला हेल्पलाइन (181) महिलाओं को आपातकालीन सहायता एवं परामर्श सेवाएँ प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है। यह सेवा महिलाओं को हिंसा, उत्पीड़न एवं अन्य समस्याओं के समय त्वरित सहायता उपलब्ध कराती है।

- स्वाधार गृह योजना: स्वाधार गृह योजना उन महिलाओं के लिए है, जो कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही हैं, जैसे–विधवा, परित्यक्ता, घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं आदि। इस योजना के अंतर्गत उन्हें आश्रय, भोजन, चिकित्सा सुविधा एवं पुनर्वास सेवाएँ प्रदान की जाती हैं (भारत सरकार, 2020)।

- वन स्टॉप सेंटर: वन स्टॉप सेंटर योजना का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सेवाएँ प्रदान करना है, जैसे–चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता, परामर्श एवं आश्रय। यह योजना महिलाओं की सुरक्षा एवं न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है (एमडब्ल्यूसीडी, 2021)।

ये सभी कार्यक्रम महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

9. **शिक्षा नीतियां (NEP 2020)**: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (**NEP** 2020) भारत की शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लाने के उद्देश्य से लागू की गई है। इस नीति में लैंगिक समानता एवं समावेशी शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। **NEP** 2020 के अंतर्गत '**Gender Inclusion Fund**' की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसका

उद्देश्य बालिकाओं एवं वंचित वर्गों को शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करना है। यह नीति शिक्षा को अधिक सुलभ, समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने पर बल देती है, जिससे सभी वर्गों के विद्यार्थियों विशेषकर लड़कियों को समान अवसर प्राप्त हो सकें। इसके अलावा, यह नीति कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा एवं नवाचार को भी बढ़ावा देती है, जो युवाओं के समग्र विकास में सहायक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लैंगिक समानता को शिक्षा के माध्यम से सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जो दीर्घकालिक सामाजिक परिवर्तन का आधार बन सकता है।

इस प्रकार भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न नीतियां एवं योजनाएं लैंगिक समानता एवं युवा सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ये पहलें शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं आर्थिक सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करती हैं। हालांकि, इन योजनाओं की प्रभावशीलता उनके उचित क्रियान्वयन एवं जन-जागरूकता पर निर्भर करती है। अतः आवश्यक है कि इन नीतियों को प्रभावी रूप से लागू किया जाए तथा समाज के सभी वर्गों तक इनका लाभ पहुँचाया जाए, ताकि एक समावेशी एवं समानतापूर्ण समाज की स्थापना संभव हो सके।

10. संभावनाएं एवं भविष्य की दिशा

भारत में लैंगिक समानता एवं युवा अधिकारों के क्षेत्र में अनेक चुनौतियाँ होने के बावजूद भविष्य में सकारात्मक परिवर्तन की व्यापक संभावनाएँ मौजूद हैं। यदि शिक्षा, तकनीक, नीतिगत सुधार एवं सामाजिक जागरूकता को समन्वित रूप से अपनाया जाए, तो एक समावेशी एवं समानतापूर्ण समाज की स्थापना संभव है। लैंगिक समानता केवल एक सामाजिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह सतत विकास, सामाजिक न्याय एवं लोकतांत्रिक सुदृढ़ता की आधारशिला है, और युवाओं की सक्रिय भागीदारी इस परिवर्तन को गति प्रदान कर सकती है। डिजिटल तकनीक एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी युवाओं को शिक्षा, रोजगार एवं कौशल विकास के नए अवसर प्रदान करते हैं, हालांकि इसके लिए डिजिटल विभाजन को कम करना आवश्यक है।

सामाजिक जागरूकता अभियान लैंगिक रूढ़ियों को बदलने में सहायक हैं, जबकि प्रभावी नीति क्रियान्वयन एवं सुधार समान अवसर सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका युवाओं की है, जो सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख एजेंट हैं और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में सक्रिय योगदान दे सकते हैं। निष्कर्षतः, शिक्षा, तकनीक, जागरूकता, नीति सुधार एवं युवाओं की भागीदारी के माध्यम से एक समतामूलक एवं न्यायपूर्ण समाज का निर्माण संभव है।

11. निष्कर्ष

लैंगिक समानता एवं युवा अधिकार किसी भी राष्ट्र के समग्र, संतुलित एवं सतत विकास के मूल आधार हैं। भारत जैसे युवा-प्रधान देश में इन दोनों पहलुओं का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ की विशाल युवा आबादी देश की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दिशा को निर्धारित करने की क्षमता रखती है। यदि इस युवा शक्ति को समान अवसर, अधिकार एवं संसाधन प्रदान किए जाएँ, तो यह राष्ट्र के

विकास को नई ऊँचाइयों तक पहुँचा सकती है। इस अध्ययन के विभिन्न आयामों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि भारत में लैंगिक समानता एवं युवा अधिकारों के क्षेत्र में एक ओर उल्लेखनीय प्रगति हुई है, वहीं दूसरी ओर अनेक चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य एवं राजनीतिक भागीदारी के क्षेत्रों में महिलाओं एवं युवाओं की स्थिति में सुधार के संकेत मिलते हैं, किंतु पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, आर्थिक विषमता, सामाजिक कुरीतियाँ एवं जागरूकता की कमी जैसी समस्याएँ अभी भी इनकी पूर्ण प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती हैं।

लैंगिक समानता केवल महिलाओं के अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर एवं न्याय सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है। यह लोकतंत्र की मूल भावना–समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय–को सुदृढ़ करने का माध्यम है। इसी प्रकार, युवा अधिकार केवल व्यक्तिगत विकास का प्रश्न नहीं हैं, बल्कि वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में युवाओं की सक्रिय एवं प्रभावी भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं।

सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं एवं नीतियां, जैसे 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ', 'राष्ट्रीय युवा नीति' एवं 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति **2020**', इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास हैं। इन पहलों ने लैंगिक समानता एवं युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में सकारात्मक योगदान दिया है। तथापि, इन नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं व्यापक स्तर पर पहुँच सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि इनका वास्तविक लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सके। भविष्य की दृष्टि से यह आवश्यक है कि शिक्षा को लैंगिक समानता का प्रमुख साधन बनाया जाए, क्योंकि शिक्षा ही वह माध्यम है, जो व्यक्तियों में जागरूकता, संवेदनशीलता एवं आत्मनिर्भरता का विकास करती है। इसके साथ ही, डिजिटल तकनीक का समुचित उपयोग, सामाजिक जागरूकता अभियान एवं नीतिगत सुधार भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

युवाओं की भूमिका इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। युवा वर्ग न केवल परिवर्तन का वाहक है, बल्कि वह समाज में नई सोच, नवाचार एवं प्रगतिशील मूल्यों को स्थापित करने की क्षमता भी रखता है। यदि युवाओं को लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील बनाया जाए और उन्हें सामाजिक एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाए, तो वे इस परिवर्तन को गति प्रदान कर सकते हैं।

अतः निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि लैंगिक समानता एवं युवा अधिकारों को सुनिश्चित किए बिना भारत का समग्र विकास संभव नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार, समाज, शिक्षा संस्थान एवं स्वयं युवा मिलकर समन्वित प्रयास करें। शिक्षा, जागरूकता, नीति सुधार एवं सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से ही एक ऐसे समाज की स्थापना की जा सकती है, जहाँ सभी को समान अवसर, सम्मान एवं न्याय प्राप्त हो।

सन्दर्भ सूची

1. Austin, G. (1999). *The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation*. Oxford University Press.

2. Basu, A. (2016). *Women's Political Participation in India: Issues and Challenges*. Oxford University Press.
3. Basu, D. D. (2015). *Introduction to the Constitution of India*. LexisNexis.
4. Checkoway, B. (2011). What is youth participation? *Children and Youth Services Review*, 33(2), 340–345.
5. Chaudhuri, M. (2013). *Gender and Development in India*. Routledge.
6. Election Commission of India. (2022). *Statistical Report on General Elections*. Government of India.
7. Government of India. (1950). *The Constitution of India*.
8. Government of India. (2020). *Swadhar Greh Scheme Guidelines*.
9. Government of India. (2021). *Annual Report on Women and Youth Development*.
10. International Labour Organization (ILO). (2019). *Women in Employment Trends*. Geneva: ILO.
11. Kabeer, N. (2005). Gender equality and women's empowerment: A critical analysis. *Gender & Development*, 13(1), 13–24.
12. Ministry of Education. (2020). *National Education Policy 2020*. Government of India.
13. Ministry of Women and Child Development (MWCD). (2020). *Beti Bachao Beti Padhao Scheme Report*.
14. Ministry of Women and Child Development (MWCD). (2021). *One Stop Centre Scheme Guidelines*.
15. Ministry of Youth Affairs and Sports. (2021). *National Youth Policy*. Government of India.
16. Mehta, P. B. (2013). *The Burden of Democracy*. Penguin Books.

17. National Family Health Survey (NFHS-5). (2021). *India Fact Sheet*. Ministry of Health and Family Welfare.
18. National Sample Survey Office (NSSO). (2021). *Employment and Unemployment Survey*. Government of India.
19. NITI Aayog. (2019). *Evaluation Report of Beti Bachao Beti Padhao*.
20. Nussbaum, M. (2000). *Women and Human Development*. Cambridge University Press.
21. OECD. (2021). *Bridging the Digital Gender Divide*.
22. Sen, A. (2001). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
23. Tilak, J. B. G. (2018). *Education in India: Policy and Practice*. Sage Publications.
24. UNESCO. (2019). *Empowering Youth through Education*.
25. UNESCO. (2020). *Global Education Monitoring Report*.
26. UNESCO. (2021). *Inclusive Education and Gender Equality Report*.
27. UN Women. (2021). *Progress of the World's Women Report*.
28. United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.
29. United Nations. (2018). *Youth Strategy: Youth 2030*.
30. United Nations Development Programme (UNDP). (2020). *Youth and Human Development Report*.
31. United Nations Development Programme (UNDP). (2022). *Human Development Report*.
32. World Bank. (2022). *Gender and Digital Development Report*.
33. World Economic Forum. (2023). *Global Gender Gap Report*.

34. World Health Organization (WHO). (2021). *Gender and Health Report*.